अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-04/2017/177 ई-2/तेरह-2017-38/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारीगण,
जनपद-बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूँ, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, कानपुरनगर, कानपुरदेहात, उन्नाव, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी तथा ललितपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 फरवरी,2017

विषयः- उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु मद्य निषेध घोषित करने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति सं0-ईसीआई/पीएन/2/2017, दिनांक 04 जनवरी,2017, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04-01-2017 तथा उनके पत्र संख्या-221/सी0ई0ओ0-4-98/4-2002, लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्रों में प्रदेश में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के गोरखपुर- फैजाबाद खण्ड, कानपुर खण्ड एवं बरेली- मुरादाबाद खण्ड स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के इलाहाबाद- झांसी खण्ड एवं कानपुर खण्ड शिक्षक के निर्वाचन का कार्यक्रम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषित करते हुये भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 04 जनवरी,2017 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-XIV की व्यवस्थानुसार उक्त निर्वाचन हेतु मतदान/मतगणना के दौरान परिभाषित मतदान क्षेत्र में ड्राई डे घोषित करने की अपेक्षा की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्रों में दिनांक 03 फरवरी,2017 को मतदान एवं 06 फरवरी,2017 को मतगणना निर्धारित है।

3- उक्त सम्बन्ध अवगत कराना है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या-5131/दस-97-बी/लाइसेंस-99/2000, दिनांक 10-9-1999 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (संशोधन) नियमावली,1999 में प्राविधान है कि सामान्य या उप निर्वाचन वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी0 क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा, ताडी और भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिये स्वीकृत अन्य लाइसेंस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा-135(ग) के खण्ड(एक) में यथाउपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगी। इसी प्रकार शासकीय अधिसूचना संख्या-838 ई-2/तेरह-2010-25/2010, दिनांक 08 अप्रैल,2010 द्वारा मादक वस्तुओं को कब्जे में रखने की सीमा नियंत्रित करने का प्राविधान है।

4- अत: उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु मतदान तथा मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित करने एवं लोकशांति बनाये रखने के उद्देश्य से अपने-अपने जनपदों में आबकारी दुकानों की बंदी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबंधित/नियंत्रित करने हेतु निम्नानुसार प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

(1) उक्त संदर्भित अधिसूचना दि0 10-9-1999 के प्राविधानानुसार मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जनपद के सम्बन्धित क्षेत्रों में आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रखी जायेंगी। आवश्यक होने पर मतदान के अगले दिन और मतगणना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तुरन्त बाद वाले दिन सम्बन्धित कानून के अनुसार मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाय।

(2) उक्तानुसार बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से रखी जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को अधिसूचना दि0 08 अप्रैल,2010 के प्राविधानानुसार कडाई से नियंत्रित किया जाय।

(3) सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान एवं मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने तथा पडोसी राज्यों से भी समन्वय कर मतदान दिवस तथा मतगणना के दिन 08 किमी0 क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्त्रा, क्लबों और शराब बेचने/वितरित करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसों में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति न दी जाय।

भवदीय,

( विनोद कुमार तिवारी )

अनु सचिव।

संख्या-04/2017/177(1) ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित प्रभावी निर्देश निर्गत करने के अनुरोध सहित प्रेषित:-

(1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या-221/सी0ई0ओ0-4-98/4-2002, लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी,2017 के क्रम में।

(2) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध सहित कि कृपया सर्वसम्बन्धित को अपने स्तर से सूचित करते हुये कडाई से अनुपालन एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( विनोद कुमार तिवारी )

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।